न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:– 07 / 2019 — तारीख रजू:– 11.7.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

ग्राम पंचायत साकरवाडा जरिये हाल सरपंच राजकुमार बैरवा ग्राम पंचायत साकरवाडा

(सायल)

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम
2. अनिता पत्नि जितेन्द्र मीना निवासी करोडी तहसील सिकराय
3. कलावती पत्नि गिरवर लाल मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
4. कीर्ति देवी पत्नि पृथ्वी लाल मीना निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. खुशी राम पुत्र प्यारेलाल मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
6. दिनेश चन्द पुत्र सीताराम ब्राह्मण निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
7. प्यारेलाल पुत्र ठण्डीराम मीना निवासी रंगलाल का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
8. बलराम पुत्र मनोहरी मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
9. नाथू लाल पुत्र मूलचन्द मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
10. बीना देवी पत्नि डोडीराम मीना निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
11. भीम सिंह पुत्र रमेश चन्द मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
12. रूकमणी पत्नि नहन्या राम निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
13. रूगनाथ पुत्र रामजीलाल मीना निवासी जिन्शी का पुरा टोडाभीम जिला करौली।
14. रमेश पुत्र बसंता राम मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
15. रामपति पत्नि मिश्री लाल मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
16. रामरूप पुत्र कजोडया मीना निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
17. लक्ष्मी देवी पत्नि मकोली राम मीना निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
18. श्री फूल मीना पुत्र किशनसहाय मीना निवासी साकवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
19. श्रीमन पुत्र कजोडया मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
20. सुगनी पत्नि गील्याराम मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली
21. कैलाशी पत्नि मोहनलाल निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला करौली

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.एक्ट नक्शा ट्रेस दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट सायल
श्री संजय कुमार गहलोत गैरसायल न0 6,11,13,14,21
पैरोकार सरकार गैर सायल न0 1

निर्णय — दिनांक 11.02.2020

सायल की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया है कि आराजी ख0न0 267 रकबा 0.9400 है0 ग्राम भूडा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 मे ग्राम पंचायत साकरवाडा महाविधालय हेतु आरक्षित दर्ज है। वाद मे नामांतकरण संख्या 459 दिनांक 30.10.2018 न्यायालय आदेश से चरागाह दर्ज हो गया है। लेकिन रेवन्यू नक्शा ट्रेस मे मिलान करने पर इस ख0न0 की भूमि ग्राउन्ड मे नही है। इस ख0न0 के लगवा ख0न0 267 / 1376 रकबा 2.0513 है0 है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तरमीम नक्शा शीट मे ख0न0 267 की भूमि कम कर दी है। तथा ख0न0

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

267 / 1376 मे रकवा 0.70 है0 अधिक कर तरमीम कर दी है। सीट मे तरमीम करते समय लिपिकीय त्रुटी हुई है। इसलिये ख0न0 267 / 1376 की सीट मे से रकवा 0.70 है0 कम कर ख0न0 267 मे रकवा 0.70 है0 सीट मे तरमीम किया जावे। इस प्रकार के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को फरमाये जावे।

गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 1 की और से पैरोकार सरकार एवं गैरसायल न0 6,11,13,14,21 की और से श्री संजय कुमार गहलौत एडवोकेट उपस्थित हुये शेष गैरसायलान बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये। इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान न0 6,11,13,14,21 की और से जबाव पेश किया कि अप्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है जबकि किसी के पास अपने हिस्से से अधिक भूमि नही है, तो सीट मे 0.70 है0 रकवा कम किया जाना न्यायोचित नही है इसलिये प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे। गैरसायल न0 1 पैरोकार सरकार ने जबाव एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ख0न0 267 का रकवा 0.94 है0 रिकार्ड के अनुसार सही है। नक्शा सीट मे मुताबिक रिकार्ड मेल नही खाने से नक्शा सीट मे शुद्व किया जाना उचित है। ख0न0 267 पूर्व मे 2.59 है0 का था जिसमे नवीन ख0न0 1379 / 267 रकवा 1.65 है0 राजकीय महाविधालय टोडाभीम के नाम आवंटन हो गया शेष मूल ख0न0 267 रकवा 0.94 है0 का रह गया। तथा ख0न0 267 / 1376 का पूर्व मे रकवा 2.86 है0 था। जिसमे से विभाजन होकर नवीन ख0न0 1440 / 1376 रकवा 0.21 है0 एवं 1438 / 1376 रकवा 0.54 है0 एवं ख0न0 1439 / 1376 रकवा 0.0587 पृथक–पृथक खातेदारो के नाम दर्ज हो गया। शेष मूल ख0न0 267 / 1376 रकवा 2.0513 रह गया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व नक्शा सीट मे ख0न0 267 का रकवा कम कर दिया तथा ख0न0 267 / 1376 की नक्शा सीट मे अधिक कर दिया। जिसे राजस्व नक्शा सीट मे रकवा शुद्व किया जाना चाहिये रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी सलग्न किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील सायल ने मुताबिक रिपोर्ट हाल नक्शा सीट मे दुरूस्ती करने का निवेदन किया। गैरसायलान के वकील ने दुरूस्ती नही किये जाने का कथन किया। पैरोकार सरकार ने बताया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा सीट तरमीम करते समय हाल ख0न0 267 का रकवा कम कर दिया है। जिसे दुरूस्त किये जाना आवश्यक है जिससे मुताबिक रिकार्ड रकवा नक्शा सीट मे पूर्ण हो सके। ख0न0 267 का कम हुआ रकवा 0.70 है0 समीप के लगे ख0न0 267 / 1376 की नक्शा सीट मे अधिक प्रदर्शित हो रहे रकवा 0.70 है0 को ख0न0 267 मे मिलाकर दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली मे शामिल दस्तावेज व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं कथनानुसार ग्राम भूडा के नक्शा सीट मे ख0न0 267 के रकवा 0.94 है0 पूर्ण करने के लिये ख0न0 267 / 1376 के रकवे मेसे 0.70 है0 रकवा प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार ख0न0 267 की नक्शासीट मे तरमीम किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम भूडा के नक्शा सीट मे ख0न0 267 के रकवा 0.94 है0 पूर्ण करने के लिये ख0न0 267 / 1376 के रकवे मेसे 0.70 है0 रकवा प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार ख0न0 267 की नक्शासीट मे तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार की रिपोर्ट निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

11/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
डोडागीग

...-19 उनवान - ग्राम पंचायत सांकरवाडा
बनाम
तहसीलदार वगैरह

7/12/19 (आवेदन पत्र धारा 136 रा० के० रे० अधि०)
दुरूस्ती रेकर्ड ग्राम भूडा

महोदय,

निवेदन है कि जवाबदाता निम्नानुसार सेवा में प्रेषित है।

1. बिन्दु संख्या -01- ग्राम भूडा का खसरा नम्बर 267 रकबा 0.94 हेक्टेयर वर्तमान में मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी में चारागाह दर्ज है।

2. बिन्दु संख्या -02- मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडा व गिरदावर वृत सांकरवाडा ग्राम भूडा के खसरा नं० 267 का रकबा मुताबिक रिकॉर्ड 0.94 हेक्टेयर दर्ज है जो सही है। नक्शा शीट में खसरा नम्बर 267 रकबा 0.94 हेक्टेयर मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज रकबे से मेल नहीं खाता है। अतः नक्शा शीट में खसरा नं० 267 को मुताबिक रिकॉर्ड शुद्ध किया जाना उचित है।

3. बिन्दु सं- 03 तथा 04 कानूनी है मोहताज जवाब नहीं है।

विशेष विवरण - खसरा नं० 267 रकबा 0.94 हेक्टेयर को नक्शा शीट में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम की जाकर शुद्ध किया जाना उचित है।

अतः जवाबदावा उपरोक्तानुसार सादर प्रेषित है।

4846
12.12.19

संलग्न :- गिरदावर हल्का सांकरवाडा
पटवारी भूडा की मूल रिपोर्ट

तहसीलदार डोडागीग
(मौहर सोम्ब)

सेवा में

श्रीमान् [illegible] महोदय

टोडाभीम

विषय:- [illegible] ख.नं 267 की [illegible] के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके पत्रांक/क्रमांक 1309 दिनांक 11-7-19 की पालना में [illegible] पटवारी हल्का [illegible] के साथ [illegible] ख.नं 267 पर पहुंचकर मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया गया कि ख.नं 267 रकबा 0.94 हे. तथा इसी तरह ख.नं $\frac{267}{1376}$ रकबा 2.0513 हे. वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ख.नं 267 पूर्व में 2.59 हे. था। जिसमें से नवीन ख.नं. $\frac{1373}{267}$ रकबा 1.65 हे. राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम के नाम आवंटन हो गया।

शेष मूल ख.नं 267 रकबा 0.94 हे. रह गया तथा ख.नं $\frac{267}{1376}$ पूर्व में 2.86 हे. दर्ज था। जिसमे से विभाजन से नवीन ख.नं. $\frac{1440}{1376}$ रकबा 0.28 हे. $\frac{1438}{1376}$ रकबा 0.54 हे. $\frac{1439}{1376}$ रकबा 0.0587 पृथक-पृथक खातेदारों के नाम दर्ज हो गया।

शेष मूल ख.नं. $\frac{267}{1376}$ रकबा 2.0513 रह गया जो राजस्व शीट में ~~प्र~~ प्रबन्ध विभाग द्वारा ख.नं. 267 का रकबा कम कर दिया गया है।

तथा मौका व राजस्व शीट ख.नं. $\frac{267}{1376}$ में रकबा अधिक कर दिया गया है।

अतः ख.नं. 267 का रकबा ख.नं. $\frac{267}{1376}$ जो कि उक्त ख.नं. से लगा हुआ है उसमे रकबा अधिक कर दिया गया है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

SLR-लांबा(नपा)

मलखान मीना
हल्का पटवारी......[illegible]......
मु.० टोडाभीम (करौली)

स्थलीय नक्शा

ग्राम- भूड़ा

तहसील - तिलोई

जिला - अमेठी

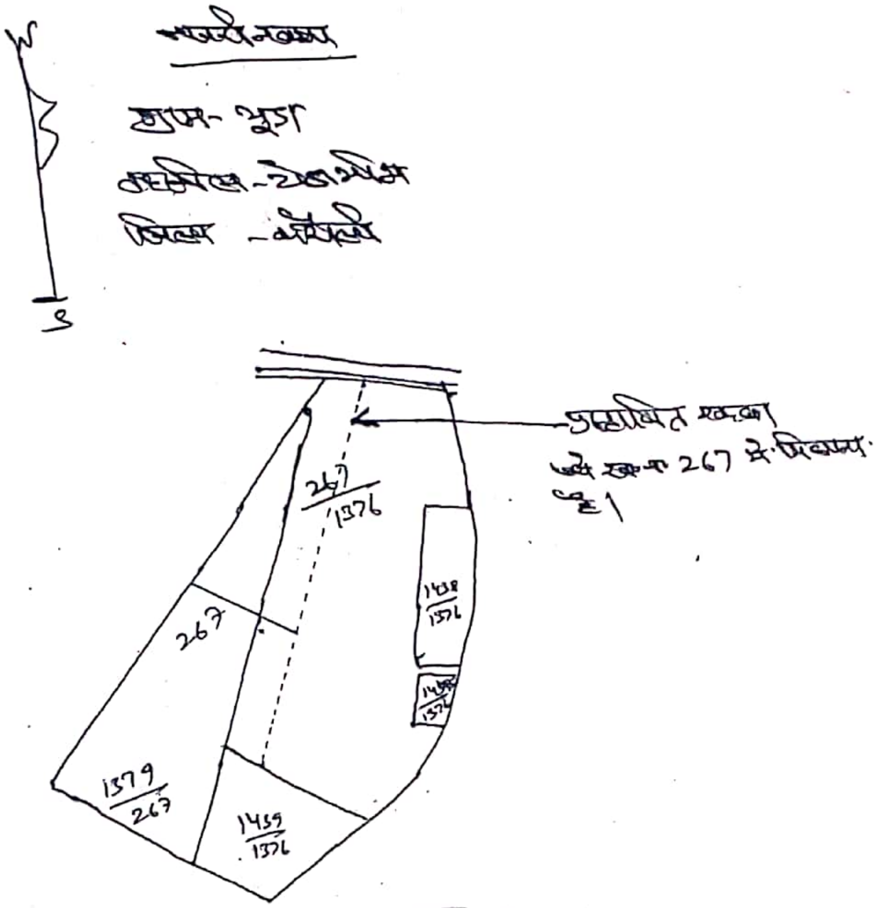

जिला-अमेठी

Scanned by CamScanner

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय
टोडाभीम

विषय:- ग्राम-गुढ़ा के ख०न० 267 रकबा 0.94 हैक्ट० की सेट के तरमीम करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय करौली के आदेश क्रमांक/भू.अभि./18/2832-36 दि. 5.10.18 एवं अतिरिक्त आदेश क्रमांक/भू.अभि./2018/3353 दिनांक 18.10.18 की पालना में ग्राम-गुढ़ा के ख०न० 267 रकबा 0.94 हैक्ट० जो कि ग्राम पंचायत संकरवाड़ा राजकीय महाविद्यालय के नाम आरक्षित है को अनारक्षित कर आदर नामा० से 459 दिनांक 30.10.18 से पूर्वानुसार चारागाह दर्ज कर दिया गया है, लेकिन उक्त ख०न० 267 रकबा 2.59 हैक्ट० में से नवीन ख०न० 1379/267 रकबा 1.65 हैक्ट० राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम के नाम आवंटित (दर्ज) होने के बाद शेष मूल खसरा नं. 267 रकबा 0.94 हैक्ट० सेट में बचता नहीं है, क्योंकि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त ख०न० की तरमीम कम करदी गई है, इसके अलावा ही ख०न० 267/1376 रकबा 2.86 हैक्ट० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका रकबा जरीब करने पर 3.47 हैक्ट० प्रतीत होता है, अत: 0.61 हैक्ट० अधिक है जिसको ख०न० 267 में मिलाये जाने के आदेश किया जाना उचित होगा, जिससे ख०न० 267 का रकबा की पूर्ति हो जावे अत: उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में पेश है।

नजरी नक्शा

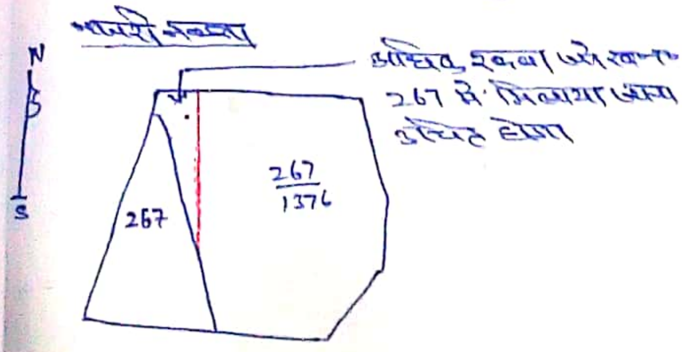

1/2/19

मदन मोहन मीना
हल्का पटवारी गुढ़ा
तह० टोडाभीम जिला-करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:43:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: